संख्याः 1915 / 9—आ—3—97—38(विविध) / 97

प्रेषक,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त पर्वतीय जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
मंसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. अध्यक्ष,
नैनीताल झील परिक्षेत्र,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल,
गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी,
दून वैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 29 मई, 1997

विषकः नगरों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य आवास नीति के अन्तर्गत जनसाधारण की सुविधा के लिए भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्न शासनादेश जारी किये गये हैं :—

(1) शासनादेश संख्याः 1614 / 9—आ—3—97—38 विविध / 97, दिनांक 01.05.1997
(2) शासनादेश संख्याः 1617 / 9—आ—3—97—38 विविध / 97 दिनांक 01.05.1997
(3) शासनादेश संख्याः 1618 / 9—आ—3—97—38 विविध / 97 दिनांक 01.05.1997
(4) शासनादेश संख्याः 1616 / 9—आ—3—97—38 विविध / 97 दिनांक 01.05.1997

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गठित विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में उपरोक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्था लागू नही होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास तथा भौगालिक परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उनके लिए अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशोंका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्याः 1915(1) / 9—आ—3—97,तददिनांक

उपरोक्त की एक प्रति आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, आयुक्त कुमायूँ मण्डल तथा आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

पी0एन0 सिंह
अनुसचिव